जबरन बेदखल कर नाजायज कब्जा कर लूंगा तथा प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की आराजीयात में जबरन खाई खोद कर प्रार्थीगण की आराजीयात में नुकसान पहुंचाना चाहते है और प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे की आराजीयात को अपनी होना बताकर जबरन नाजायज कब्जा करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण के मना करने पर विपक्षीगण लडाई झगडा करने पर आमादा होते हैं तथा प्रार्थी को जबरन झुठे मुकदमो में फसा कर जैल में सडवाने की धमकियां देते हैं और नाजायज कब्जा करने की धमकियां देते है और प्रार्थीगण एवं गांव के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा विपक्षीगण को समझाने बुझाने पर भी विपक्षीगण हेतुक दर्शित करने के लिये सचना किसी भी सुरत में मानने को तैयार नहीं है, इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी

प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। यदि विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजियात के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किया जाना न्यायोचित है।

अतः विपक्षीगण को इस आशय अंतरिम की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण आगामी पेशी तारीख तक वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा कासोद पटवार हल्का निम्बाहेडा–बी तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 153 की आराजी नं० 320 रकबा 0.8800 हैक्टेयर भूमि की मौके की यथा स्थिति बनाए रखें। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 3 की पूर्णतः पालना की जावें। पत्रावली वास्ते बहसे हेतु दिनांक 22.07.2024 को पेश हो।

[signature]

22/7/24 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित जो पत्रावली पर बहस हेतु दिनांक 12/8/24 को पेश [signature]

12/8/24 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली के साथ संलग्न अभिलेखगण की बहस पर गौर किया। प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] को स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण [illegible] आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] कि वादग्रस्त [illegible] वाद के निस्तारण तक [illegible] मौके की यथास्थिति बनाए रखें। स्वयं परीक्षण [illegible] अपना [illegible] करें। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:47:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner